

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6/अ0-03-01/2017

पटना, दिनांक:—

श्री असदुल्लाह गालिब अंसारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), पटना विशेष अंचल, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 05.05.2025 से 18.05.2025 तक कुल 14 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री अंसारी के पक्ष में दिनांक 08.12.2024 तक देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (300-14=286) (दो सौ छियासी) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6/अ0-03-01/2017 / 892

पटना, दिनांक:—02/05/25

प्रतिलिपि :—प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर एवं श्री असदुल्लाह गालिब अंसारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), पटना विशेष अंचल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

(d) बिहार, पटना।